रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 601] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 30, 2016/भाद्र 8, 1938
No. 601] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 30, 2016/BHADRA 8, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2016

सं. 38 /2016-सेवा कर

सा.का.नि. 835(अ).—केन्द्रीय सरकार वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 26/2012-सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012, जिसे सा.का.नि. 648 (अ), दिनांक 20 जून, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा—

1. उक्त अधिसूचना में,—

(क) सारणी में, क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा –

"5क	रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के हवाई अड्डों से चढ़ने वाले या वहां उतरने वाले यात्रियों का, उनके सामानों के साथ या सामनों के बिना, वायुयान द्वारा परिवहन।	10	सेवा प्रदाताओं द्वारा सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 के प्रावधानों के तहत इनपुट, पूंजीगत वस्तुओं और इनपुट सेवाओं, जिनका कि करयोग्य सेवाओं को प्रदान करने में उपयोग किया गया हो, पर सेनवेट क्रेडिट न लिया गया हो।"

(ख) पैराग्राफ 2, के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"2क. सारणी के क्रम सं.5क में निहित कोई भी बात रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के हवाई अड्डों के चालू होने की तारीख, जैसा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया हो, से 1 वर्ष की अवधि के समाप्त होने पर या उसके बाद लागू नहीं होगी।"

[फा. सं. 354/226/2013-टीआरयू (भाग-1)]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 26/2012-सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012 को सा.का.नि. 468(अ), दिनांक 20 जून, 2012 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 8/2016- सेवा कर, दिनांक 1 मार्च, 2016, सा.का.नि. 256(अ), दिनांक 1 मार्च, 2016 के द्वारा संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2016

No. 38/2016-Service Tax

G.S.R. 835(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 26/2012- Service Tax, dated the 20th June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 468 (E), dated the 20th June, 2012, namely:-

1. In the said notification,-

(a) in the TABLE, after Sl. No. 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :-

"5A	Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by air, embarking from or terminating in a Regional Connectivity Scheme Airport.	10	CENVAT credit on inputs, capital goods and input services, used for providing the taxable service, has not been taken by the service provider under the provisions of the CENVAT Credit Rules, 2004."

(b) after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely :-

"2A. Nothing contained at Sl. No. 5A of the TABLE shall apply on or after the expiry of a period of one year from the date of commencement of operations of the Regional Connectivity Scheme Airport as notified by the Ministry of Civil Aviation.".

[F. No. 354/226/2013-TRU (Pt.)]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note: The principal notification No. 26/2012 - Service Tax, dated 20th June, 2012, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 468(E), dated the 20th June, 2012 and was last amended by notification No. 8/2016- Service Tax, dated the 1st March, 2016, vide G.S.R. 256(E), dated the 1st March, 2016.

RAJ KUMAR
Digitally signed by RAJ KUMAR
Date: 2016.08.30 23:52:52 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.